(कार्या.) 07692- 225866
(नि.) 07692- 220301
(फैक्स) 07692- 220990
ई-मेल - dmseo@nic.in,

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक/ 1394 /भू-अभि./बे.जी.आई.एस.सेल/2024 सिवनी, दिनांक- 14/11/2024

प्रति,

1. मुख्यकार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत सिवनी
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
   अनुविभाग, सिवनी/कुरई/बरघाट/केवलारी/लखनादौन/घंसौर
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत सिवनी/कुरई/बरघाट/केवलारी/लखनादौन/छपारा/घंसौर/धनौरा
4. तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार
   तहसील सिवनी/सिवनी नगर/कुरई/बरघाट/केवलारी/लखनादौन/छपारा/घंसौर/धनौरा

विषय:- राजस्व महा-अभियान (3.0) 15 नवम्बर 2024 से 15 दिसम्बर 2024 के संबंध में।

संदर्भ:- म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का परिपत्र क्रमांक 110/PSR/PA/2024 भोपाल दिनांक 12/11/2024।

---000---

राजस्व महा-अभियान प्रथम चरण (जनवरी- मार्च 2024) एवं द्वितीय चरण (18 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024) की सफलता को देखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राजस्व विभाग के राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने हेतु राजस्व महा-अभियान 3.0 का आयोजन दिनांक 15/11/2024 से 15/12/2024 तक किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इस अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों (RCMS) में लम्बित प्रकरणों (नामांतरण, बँटवारा, अभिलेख दुरूस्ती, सीमांकन) का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को RCMS पर दर्ज कराना, नक़्शे पर तरमीम, PMKISAN का सैचुरेशन, आधार का ROR से लिंकिंग, परम्परागत रास्तों का चिन्हांकन, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन है।

इस अभियान में निम्नानुसार गतिविधियाँ सम्पादित की जाए:

1. नामांतरण :

समय सीमा बाह्य नामातंरण प्रकरणों (विवादित / अविवादित) का निराकरण सुनिश्चित करते हुए, नवीन दर्ज प्रकरणों का समय-सीमा में में निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। उत्तराधिकार नामांतरण के अतंर्गत ग्राम के पटवारी द्वारा B1 का वाचन कराया जाकर ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार की जाए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तदनुसार प्रकरण दर्ज कर फौती नामांतरण की कार्यवाही की जाए ।

P.T.O.

2. बंटवारा:

समय सीमा बाह्य बंटवारा प्रकरणों का निराकरण करें और नवीन दर्ज प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि भूमि की सीमा नक्शे में उपलब्ध होने पर विवादों का निराकरण किया जा सके।

3. अभिलेख दुरूस्ती :

06 माह की अवधि से लंबित सभी प्रकार के अभिलेखों के शुद्धिकरण के प्रकरणों का निराकरण शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।

4. सीमांकन:

RCMS पर दर्ज लंबित सीमाकंन प्रकरणों का त्वारित निराकरण एवं नवीन प्रकरणों को दर्ज कर निराकृत करें।

5. परंपरागत रास्तों का चिन्हांकन :

धारा 131 के तहत मान्यता प्राप्त सडक, रास्ते, सार्वजनिक भूमियों का चिन्हांकन करना | इसके तहत रास्ता विवाद, जल निकासी विवाद आदि प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा |

6. नक्शे में बटांकन :

कुछ ग्रामों के खसरा तथा नक्शे में लिंक स्थापित नहीं है और नागरिकों को उपलब्ध कराये जा रहे नक्शे पूर्णत: शुद्ध नहीं है। खसरा एवं नक्शा में एकरूपता नहीं होने से सम्बन्धित कृषकों को समस्याओं का सामना करना पडता है। इसके संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :-

6.1 खसरे में बटांकन होना परंतु नक्शे में नही होना :

नामांतरण / बंटवारा आदेश के आधार पर यदि खसरे में तो बटांकन किया गया, परंतु उसकी तरमीम नक्शे पर अमल नहीं की गई हो, तब इस प्रकार की त्रुटि नक्शे में दिखाई देती है। इस प्रकार की त्रुटि को ग्राम नक्शा में उपलब्ध खसरा बटांकन सूची के अनुसार भूलेख पोर्टल पर " नक्शा बटांकन" (Map Rectification) मॉड्यूल के माध्यम से पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा नक्शे में तरमीम अमल का कार्य किया जा सकता है। वर्तमान में इस प्रकार की तरमीम के प्रकरण काफी अधिक संख्या में लंबित है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जाए ।

6.2 खसरा नंबर का एक से अधिक बार होना... :

नक्शे के दो पार्सल में एक ही खसरा नंबर दर्ज है, जबकि नक्शा में प्रत्येक पार्सल पर एक यूनीक खसरा नंबर दर्ज होना चाहिए, इस प्रकार की त्रुटि से खसरा एवं नक्शा लिंकिंग में समस्या होती है और कम्प्यूटर यह पता नहीं कर पाता कि जिस खसरा नंबर का दोहराव हो रहा है। इस प्रकार की त्रुटि का सुधार भूलेख पोर्टल पर " नक्शा संख्या अद्यतन " (Map Number/ Attribute Update) मॉड्यूल के माध्यम से पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा किया जाए।

6.3 नक्शे में बटांकन होना परन्तु खसरे में नही :

यदि किसी खसरा नंबर के नक्शे में बटांकन दर्ज है किन्तु खसरे में मूल नंबर प्रदर्शित हो रहा है तो नक्शे में दर्ज बटांको को मर्ज कर खसरा अनुसार मूल नंबर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

P.T.O.

इस प्रकार की त्रुटि का सुधार भूलेख पोर्टल पर "बहुल नक्शा बटांकन (Village Map Correction) मॉड्यूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाए ।

6.4 शामिल खसरे को भिन्न किया जाना

सभी शामिल खसरों को बंदोबस्त के रिकॉर्ड एवम वर्तमान खसरा नक्शे के आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए।

6.5 शाब्दिक सर्वेक्षण सुधारः

खसरा क्रमांक में त्रुटिपूर्ण शब्दों एवं अंको को हटाना ।

7. आधार से ROR खसरे की लिंकिंग :

भूलेख पोर्टल पर जाकर आवेदक अपने खसरे को आधार से लिंक कर सकता है, जिसका सत्यापन पटवारी द्वारा किया जाएगा।

8. फार्मर रजिस्ट्री –

प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का प्रबंधन mpfr.agristack.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, इसका उद्देयश् यह है कि कृषक किसान क्रेडिट कार्ड हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकें एवं नियमानुसार पात्रता होने पर 30 मिनिट में राशि किसानों को प्राप्त हो सके। इसके माध्यम से पीएम किसान योजना हेतु आवेदन भी किया जा सकेगा।

1. पीएम किसान योजना हेतु फार्मर आईडी को दिसम्बर 2024 से अनिवार्य किया गया है, कृषक स्वयं अथवा पटवारी फार्मर आईडी बनाये जाने की कार्यवाही कर सकते हैं।
2. छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन भी संबंधित पटवारी द्वारा किया जा सकता है एवं किसान भी उक्त पोर्टल एवं एप के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित कर सकते हैं।
3. आगामी समय में फार्मर आईडी अन्य योजनाओं में भी अनिवार्य होगी, अतः इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कर किसानों की सहभागिता से फार्मर आईडी जनरेट करने की कार्यवाही पूर्ण की जाए ।

9. PMKISAN सैचुरेशन :

पीएमकिसान योजना सैचुरेशन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए-

1. छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को योजना में जोड़ा जाए।
2. अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पीएमकिसान पोर्टल पर अद्यतन की जाए ।
3. लंबित ई-केवायसी की कार्यवाही पीएमकिसान एप, पीएमकिसान पोर्टल के माध्यम से ओटीपी द्वारा, सीएससी केन्द्र के माध्यम से बायोमेट्रिक द्वारा अथवा पीएमकिसान एप के माध्यम से फेस रिकग्निशन द्वारा पूर्ण की जाए।
4. लंबित आधार बैंक खाता डीबीटी हेतु enable करने की कार्यवाही संबंधित बैंकर्स का सहयोग लेकर एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक संबंधी खाता खोलकर पूर्ण की जाए।

10. स्वामित्व :

P.T.O.

स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि का सर्वेक्षण पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :-

1. दिनांक 30/11/2024 तक समस्त ग्रामें में ग्राउंड ट्रुथिंग का कार्य पूर्ण किया जाकर अद्यतन नक्शा सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त किए जाए।
2. आरओआर एण्ट्री की कार्यवाही सतत् रूप से की जाये, ताकि अद्यतन नक्शा प्राप्त कर पर दिनांक 15/12/2024 तक यह कार्यवाही पूर्ण हो सके।
3. दिनांक 30/11/2024 तक अधिक से अधिक ग्रामों का अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

म.प्र.शासन राजस्व विभाग के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में जिलें में ग्राम/ग्रामपंचायत/तहसील स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार रोस्टर कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-

स.क्र.	अभियान के अंतर्गत कार्य	दिनांक से दिनांक तक	अवधि (दिवस)	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	ग्राम में बी-1 का वाचन	15 नवम्बर 2024 एवं 16 नवम्बर 2024	02 दिवस	संबंधित हल्का पटवारी
2	**परम्परागत सड़क रास्तों का चिन्हांकन**			
2.1	परम्परागत सड़क रास्तों का चिन्हांकन कर सूची बद्ध करना	17 नवम्बर 2024 से 19 नवम्बर 2024	03 दिवस	संबंधित हल्का पटवारी
2.2	निस्तार पत्रक व वाजिब-उल-अर्ज में सड़क रास्तों की प्रविष्टि दर्ज कराये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर सार्वजनिक दावा/आपत्ति आमंत्रित करने हेतु ईश्तहार प्रकाशन	19 नवम्बर 2024 से 20 नवम्बर 2024	02 दिवस	संबंधित राजस्व न्यायालय व्दारा
2.3	दावा/आपत्ति का निराकरण कर आदेश पारित कर भू-अभिलेखों में अमल कराया जाना	01 दिसम्बर 24 से 05 दिसम्बर 2024	05 दिवस	संबंधित राजस्व न्यायालय व्दारा
3	**नक्शा अद्यतन**			
3.1	नक्शा बटांकन हेतु मौका निरीक्षण	15 नवम्बर 2024 से 20 नवम्बर 2024	06 दिवस	संबंधित हल्का पटवारी एवं ग्राम कोटवार
3.2	नक्शा बटांकन हेतु कम्प्यूटर व्दारा नक्शा तरमीम का कार्य	21 नवम्बर 2024 से 30 नवम्बर 2024 तक	10 दिवस	हल्का पटवारी

P.T.O.

4	**आधार से ROR खसरे की लिंकिंग एवं फॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य करना**			
4.1	ग्राम में आधार नंबर अपडेट कराने से शेष रहे व्यक्तियों का आधार एवं मोबाईल नंबर अपडेट कराने हेतु कैम्पों का आयोजन	15 नवम्बर 2024 से 20 नवम्बर 2024	06 दिवस	हल्का पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सहायक, आधार सेन्टर के संचालक
4.2	ग्रामवार कैम्प लगाकर आधार से ROR खसरे की लिंकिंग एवं फॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य सम्पादित कराया जाना	21 नवम्बर 2024 से कार्य समाप्ति तक		हल्का पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सहायक, आधार सेन्टर के संचालक
5	**राजस्व प्रकरण**			
5.1	अविवादित नामांतरण/बंटवारा के नवीन प्रकरणों को दर्ज करना	बी- वाचन एवं ग्राम भ्रमण के दौरान हल्का पटवारी के व्दारा जानकारी प्राप्त कर अपनी ID से पंजीबद्ध किया जावे। **(निरंतर क्रियाशील)**		संबंधित हल्का पटवारी
5.2	अभिलेख दुरूस्ती	आदेश पारित होने की दिनांक से 02 दिवस के भीतर अमल सुनिश्चित किया जावेगा। **(निरंतर क्रियाशील)**		संबंधित पीठासीन अधिकारी एवं हल्का पटवारी
5.3	सीमांकन	पटवारियों के दल गठित कर, लंबित सीमांकन प्रकरणों का 30 नवम्बर 2024 तक निराकरण एवं नवीन प्राप्त आवेदनों का निर्धारित 01 माह की समयावधि के भीतर निराकरण कर विधिसंगत आदेश पारित कर RCMSपोर्टल पर आदेश, प्रतिवेदन, फील्डबुक, पंचनामा, नक्शा प्रति, सूचना पत्र आदि अपलोड कराया जावेगा।		राजस्व निरीक्षक एवं पटवारीगण
5.4	समयसीमा बाहृय लंबित प्रकरणों (नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती, सीमांकन) का निराकरण	15 नवम्बर 2024 से 30 नवम्बर 2024 तक		15 दिवस
5.5	नवीन दर्ज प्रकरणों (नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती, सीमांकन) का निराकरण	01 दिसम्बर 2024 से 10 दिसम्बर 2024 तक तथा *(पारित आदेशों के अनुरूप अभिलेख अद्यतन 15 दिसम्बर 2024 के पूर्व तक)*		10 दिवस
6	**स्वामित्व योजना**			
6.1	अप्राप्त ड्रॉफ्ट मैप/फाईनल मैप SOI जबलपुर से प्राप्त करना	15 नवम्बर 2024 से 20 नवम्बर 2024	06 दिवस	संबंधित हल्का पटवारी
6.2	शेष रहे ग्रामों की ग्राऊण्ड टूथिंग कार्य पूर्ण करना	21 नवम्बर 2024 से 25 नवम्बर 2024	05 दिवस	संबंधित हल्का पटवारी
6.2	अभियान के दौरान GT पूर्ण ग्रामों की ROR एण्ट्री पूर्ण करना	26 नवम्बर 2024 से 30 नवम्बर 2024	05 दिवस	संबंधित हल्का पटवारी

6.3	प्रथम प्रकाशन से पूर्ण ग्रामों का व्दितीय प्रकाशन	15 नवम्बर 2024 से 17 नवम्बर 2024	03 दिवस	संबंधित हल्का पटवारी
6.4	व्दितीय प्रकाशन से पूर्ण ग्रामों के प्रकरण जिला सर्वेक्षण अधिकारी को प्रेषित कर प्रकरण उपलब्ध कराना	18 नवम्बर 2024 से 22 नवम्बर 2024	05 दिवस	संबंधित सहायक सर्वेक्षण अधिकारी/उपसर्वेक्षण अधिकारी
6.5	जिला स्तर पर प्रकरणों का परीक्षण एवं अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही	23 नवम्बर 2024 से 30 नवम्बर 2024	08 दिवस	जिला स्तर पर कार्यवाही

उक्त राजस्व महा-अभियान 3.0 के दौरान प्रदेश स्तर पर समन्वय हेतु श्रीमती नमिता खरे, अपर संचालक, मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति, भोपाल (9406723636, 9691872565) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस अनुक्रम में जिला स्तर पर श्रीमती पूर्वी तिवारी डिप्टी कलेक्टर, प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख सिवनी (मो.नं. 9424308408) को नोडल अधिकारी एवं श्री एस.एस.परतेती, अधीक्षक भू-अभिलेख सिवनी (मो.नं. 7587970830) को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। राजस्व महा-अभियान की जिलेवार/तहसीलवार/ग्रामवार प्रगति राजस्व महा अभियान डैशबोर्ड (सारा पोर्टल), में उपलब्ध कराई जाएगी। डैशबोर्ड (सारा पोर्टल) पर राजस्व अधिकारी अपने स्वयं के न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में अभियान की प्रगति देख सकेंगे।

सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उक्त अभियान के दौरान चिन्हांकित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे। दैनिक कार्यप्रगति के आधार पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के व्दारा सतत् समीक्षा की जावेगी। किसी प्रकार की लापवाही की दशा में संबंधितों के विरूद्ध शासनादेशों की अवज्ञा व अनुशासनहीनता मानते हुये एक पक्षीय कार्यवाही की जा सकेगी।

14/11/24

कलेक्टर

जिला सिवनी

क्रमांक/ 1394 A /भू-अभि./बे.जी.आई.एस.सेल/2024 सिवनी, दिनांक- 14/11/2024

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र. शासन राजस्व विभाग, राजस्व भवन अरेरा हिल्स म.प्र. भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. आयुक्त, भू-अभिलेख म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
4. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
5. क्षेत्रीय उप-आयुक्त भू-अभिलेख संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस मुख्य शाखा सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. जिला प्रबंधक, ई-गव्हर्नेंस सोसायटी सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. जिला प्रबंधक, MP Online क्रियोस्क सेन्टर्स सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

जिला सिवनी